ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 81-82

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

पुलिस राजनैतिक गठजोड़

डॉ0 बजरंग बहादुर सिंह

ग्रा0 व पो0 गद्दोपुर, बिलरियागंज आजमगढ़, (उ0प्र0) भारत

Received- 05 .02. 2022, Revised- 10 .02 2022, Accepted - 12.02.2022 E-mail: dr.bajrangbahadur@gmail.com

सारांशः – *दुनिया के किसी मुल्क और पूरी मानवता के इतिहास में कभी भी पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से पूर्ण मुक्ति नही मिली। राजनीति और पुलिस के बीच पूर्ण रूपेण संबंध विच्छेद व्यावहारिक भी नही है और न ही वांछनीय है। पुलिस के पास बहुत शक्तियॉं है इसलिए उनका दुरुपयोग रोकने के लिए नियंत्रण होना ही चाहिए। समस्या यह है कि इस देश में पुलिस पर नियंत्रण अपने आप में सत्ता का स्त्रोत हो गया है। उसका दुरुपयोगा निर्लज्जता से निहित स्वार्थों के लिए किया जा रहा है। विकसित पश्चिमी देशो में भी पुलिस पर गैर कानूनी ढंग से राजनीतिक नियत्रंण की समस्या का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कानूनी मदद से ऐसी नई प्रणाली विकसित की ताकि पुलिस पर वैधानिक तरीके से नियत्रंण किया जा सके। विदेश में पुलिस संगठन और पुलिसिया गतिविधियों में भी भेद किया गया है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पुलिस के लिए नीतियां, मानक, निगरानी, संसाधन और पुलिस की व्यवस्था करें लेकिन पुलिस ऑपरेशनों में दिशा–निर्देश देने का उसका अधिकार नही है। यह अधिकार पुलिस चीफ के पास है। इस प्रकार की नीति को अपने यहां भी अपनाया जा सकता है। पूरी दुनिया में मोटे तौर पर तीन एजेंसिया ऐसी है जो पुलिस पर नियंत्रण करती है। सरकार, पुलिस और समुदाय। यदि कानूनी रूप से इन तीनों एजेसियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित कर दिया जाए तो आंशिक रूप से समस्या का निपटारा किया जा सकता है।*

कुंजीभूत शब्द– मुल्क, मानवता, राजनितिक नियंत्रण, मुक्ति, निर्लज्जता, पुलिस संगठन, विरासा निर्देश, समुदाय।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्ताधारी दल और पुलिस अधिकारियों का गठजोड़ बेहद पेरशान करने वाला चलन है। अक्सर देखने में आया है कि सत्ताधारी दल का पक्ष लेने वाले पुलिस अधिकारियों को सरकार बदलने पर राजद्रोह के मुकदमें से निशाना बनाया जाता है। शीर्ष अदालत ने कहा, हालांकि इसके लिए पुलिस महकमा खुद भी जिम्मेदार है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमण और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, देश में दुखद स्थिति है, जब कोई नया दल सत्ता में आता है, तो पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाई करने लगता है। इस प्रवृत्ति को रोकने की जरुरत है।–1

1861 का पुलिस एक्ट भारतीय सिपाही विद्रोह (1857) की पृष्ठभूमि में पारित हुआ। अंग्रेजो ने महसूस किया कि स्थिर शासन के लिए उनके पास एक पुलिस फोर्स होनी चाहिए, जो पूर्ण रूप से कार्यपालिका के अधीन हो। हालांकि यह एक्ट नियंत्रण और अधीक्षण की बात तो करता है, लेकिन यह पुलिस की जवाबदेही के मामले में खामोश है। इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में कोई संस्थागत उपाय नहीं किए गए है।

आजादी के बाद भी हमने नई राजनीतिक प्रणाली अपनाई लेकिन पुलिस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 1861 का पुलिस एक्ट अस्तित्व मे बना रहा। कानून और कोर्ट पुलिस पर अविश्वास करता रहा। राजनेताओं और नौकरशाहों का इस पर गैरकानूनी नियंत्रण बना रहा। पुलिस की संरचना और मानसिकता सांमती ही रही। औपनिवेशिक युग की तरह सीनियर और जूनियर रैंक के बीच की दूरी पहले की तरह बरकरार रही। इस प्रकार बेहद सांमती और औपनिवेशिक तंत्र की पुलिस को ऐसे माहौल में काम करना था जो लगातार लोकतांत्रिक होता जा रहा था।

आजादी के बाद के शुरू के दो दशक तो राजनीतिक और पुलिस नेतृत्व के उच्च मानदंडो के कारण पुलिस व्यवस्था पर कोई खास फर्क नही पड़ा। बाद में धीरे–धीरे स्तर में गिरावट होती गई। राजनेताओं दलगत स्वार्थो के लिए पुलिस फोर्स का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण ने मिलकर विरासत मे मिली खराब पुलिस व्यवस्था की गुणवत्ता को रसातल में पहुंचा दिया। राजनीति का बढ़ता अपराधीकरणा पुलिस व्यवस्था को खराब और उसके राजनीतिकरण करने के लिए जिम्मेदार है। इसने तीन तरीके से पुलिसिया छवि और गुणवत्ता पर असर डाला है। पहला, इसने देश में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, और इसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस की क्षमता को कमजोर किया है। कई साल पहले भ्रष्टाचार पर गठित वोहरा कमेटी ने कहा था कि अपराधी गैंगों, पुलिस, नौकरशाही और राजनेताओं के बीच साठगांठ है और इसने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। दूसरा, धीरे–धीरे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में पुलिस, पर अंकुश लगाया जाने लगा। तीसरा इन सबके चलते पुलिस तंत्र पर जनता का भरोसा उठता गया। सो, अपराध और अपराधियों के खिलाफ मुकाबले में पुलिस को जनता के सहयोग और समर्थन मे कमी आती गई। इस सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश दिये है, जिससे की उपरोक्त समस्या से निजात मिल सके–

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

- स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन।
- डी0जी0पी0 का दो साल का निश्चित कार्यकाल।
- आई0जी0 पुलिस व अन्य अधिकारियों का दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल।
- जाँच कार्य में लगी पुलिस को कानून व्यवस्था से अलग रखा जाय।
- पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड का गठन।
- पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन।
- नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अमर उजालाः 27 अगस्त 2021(सत्ताधारी दल व पुलिस का गठजोड़ का बेहद परेशान करने वाला चलनः सुप्रीम कोर्ट)।
2. दैनिक जागरणः 04 नवम्बर 2012 (फलते–फूलते लोकतंत्र में औपनिवेशिक पुलिसः जीपी जोशी)।

*****